पत्रांक –3/एम०–17/2020सा0प्र0....3800../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक ....5.3.... 2025

विषय– राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से की गयी नियुक्तियों के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकार से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त कर, अधिकतम 06 माह के अन्दर नियमित नियुक्ति का आदेश निर्गत करने हेतु दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में सीधी भर्त्ती/नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त स्वच्छ होना उनकी नियुक्ति की अनिवार्य शर्त्त है।

2. बिहार सरकार में स्वच्छ छवि के पदाधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हो सकें, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1859 दिनांक–08.07.2006 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का प्रावधान किया गया है। अभिलेखों की जाँच के क्रम में एतदर्थ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएँ अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अंकित की जानी होती है। प्रपत्र के कंडिका–12 में उनके विरुद्ध चल रही/लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ भी अंकित की जानी होती है।

3. उक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–15.11.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के आपराधिक कार्यवाही में दोषसिद्ध होने अथवा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति किये जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–6831 दिनांक–23.07.2020 की कंडिका–5 द्वारा संसूचित मार्गदर्शन निम्नवत् है–

"(1) संबंधित आयोग/चयन समिति से सीधी भर्त्ती/नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर अभिलेखों की जाँच के क्रम में अनुशंसित अभ्यर्थियों को पूर्ण एवं सही सूचनाएँ अंकित करने का निदेश देते हुए उनसे चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा।

(2) अनुशंसित अभ्यर्थियों से प्राप्त चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र को सत्यापन हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संबंधित एजेंसी से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र सत्यापित होकर प्राप्त होने के उपरान्त ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

(4) इस क्रम में प्रपत्र में अभ्यर्थी अथवा सत्यापन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला के संदर्भ में कोई सूचना अंकित किये जाने अथवा सत्यापित/प्रतिवेदित किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका–4 में अंकित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–18798/2017 (एस0एल0पी0सं0– 20525/2011 से उद्भूत) अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–15.11.2017 को दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा गुण–दोष के आधार पर case-to-case विचार कर निर्णय लिया जायेगा।"

4. उपरोक्त मार्गदर्शन में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के उपरान्त ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से नियुक्त करने का निर्णय संसूचित किया जाता है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकार से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित औपबंधिक नियुक्ति आदेश को नियमित नियुक्ति में परिणत किये जाने का आदेश अलग से निर्गत किया जाता है।

5. उक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–13919/2024 वासुदेव दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य में दिनांक–05.12.2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"13.1. The given factual matrix would also compel this Court to issue a direction to the police official(s) of all the States to complete the enquiry and file report as regards the character, antecedents, nationality, genuineness of the documents produced by the candidates selected for appointment to the Government service, etc., within a stipulated time provided in the statute / G.O., or in any event, not later than six months from the date of their appointment. It is made clear that only upon verification of the credentials of the candidates, their appointments will have to be regularized so as to avoid further complications, as in the case on hand."

6. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित आदेश के अनुपालनार्थ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रत्याशा में बिहार सरकार में औपबंधिक रूप से की गयी नियुक्तियों के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकार से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त कर, अधिकतम 06 माह के अन्दर नियमित नियुक्ति का आदेश निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. कृपया उपरोक्त निदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत कराया जाय तथा उसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

4.3.05

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।